

## विज्ञापन

संख्या 17(26)/2012-पी.एल./एन.जी.टी.

भारत सरकार  
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय  
नई दिल्ली - 110003

**विषय :** राष्ट्रीय हरित अधिकरण में न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाना ।

भारत सरकार ने पर्यावरण से संबंधित किसी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन और व्यक्तियों एवं संपत्ति को हुए नुकसान और उनसे संबंधित अथवा उनके आनुषंगिक मामलों हेतु राहत और मुआवजा दिये जाने सहित पर्यावरण की सुरक्षा और वनों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) अधिनियम, 2010 (2010 का 19) अधिनियमित किया है । एन.जी.टी. अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण का गठन किया है । एन.जी.टी. अधिनियम, 2010 के उपबंधों के अनुसार न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों के पदों को भरने का प्रस्ताव है ।

2. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सदस्यों के निम्नलिखित पदों के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ।

- |      |                |   |     |
|------|----------------|---|-----|
| (i)  | न्यायिक सदस्य  | - | 5*  |
| (ii) | विशेषज्ञ सदस्य | - | 1** |

\*परिवर्तन किया जा सकता है ।

\*\*रिक्तियों की संख्या में वृद्धि प्रत्याशित है ।

3. सदस्य की भर्ती आवधिक आधार पर सीधी भर्ती के द्वारा की जायेगी और पूर्णतया योग्यता पर आधारित होगी ।

4. सदस्य को चयन के उपरान्त किसी भी ऐसे साधारण स्थान पर नियुक्त किया जा सकता है जहां अधिकरण द्वारा सुनवाई की जाती हो और जो कि सामान्यतः क्षेत्रीय स्तर पर अवस्थित है ।

5. केवल पात्रता के आधार पर कोई उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा । आवेदन पत्रों की जांच और छानबीन की जाएगी और सिर्फ चयनित उम्मीदवारों को ही चयन समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा । अस्वीकृति का कारण सूचित नहीं किया जाएगा ।

6. केन्द्र सरकार के पास बिना कोई कारण बताए विज्ञापित पद (पदों) को किसी भी समय वापिस लेने का अधिकार सुरक्षित है । इसी तरह केन्द्र सरकार के पास रिक्तियों को बढ़ाने अथवा घटाने का तथा पद (पदों) को भरने अथवा न भरने का अधिकार भी सुरक्षित है और इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

7. उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए पात्रता तथा नियम और शर्तें समय-समय पर यथा संशोधित एनजीटी (न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति का तरीका, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें तथा जांच प्रक्रिया) नियम, 2010 सहित एनजीटी अधिनियम, 2010 (2010 का 19) के उपबंधों और उसके तहत बने नियमों द्वारा शासित होंगे। एनजीटी अधिनियम, 2010 और उसके तहत बनाए गए नियम, उनमें संशोधनों सहित, मंत्रालय की वेबसाइट : [www.moef.nic.in](http://www.moef.nic.in) पर उपलब्ध हैं।

8. पात्र और इच्छुक व्यक्ति ५३०४९, 2012 तक अथवा उससे पहले, निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध-I) में अपने आवेदन सभी समर्थित दस्तावेजों (स्वतः सत्यापित) के साथ डा. आर.के. अग्रवाल, उपसचिव, कमरा सं. 1030 (10वां तल), पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, लोटी रोड, नई दिल्ली - 110003 को भेज सकते हैं। उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों/पीएसयू/विश्व विद्यालयों में कार्यरत व्यक्ति, यथा लागू गत पांच वर्षों के ए.सी.आर./ए.पी.ए.आर. की छायाप्रति सहित, उचित माध्यम द्वारा अपने आवेदन भेज सकते हैं। इस आवेदन को अग्रेषित करते समय, यह प्रमाणित किया जाए कि आवेदक के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा सतर्कता मामला लंबित अथवा विचाराधीन नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक की सत्य निष्ठा भी प्रमाणित की जाए। तथापि, यदि उनके आवेदन-पत्र साक्षात्कार की तारीख तक उचित माध्यम से प्राप्त नहीं होते हैं, तो उनकी उम्मीदवारी अस्वीकृत कर दी जाएगी।

9. अधूरे या निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत न किये गये अथवा उपर्युक्त ब्यौरे संलग्न न करके भेजे गये आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

10. साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवारों को इसके लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी।

—२०२१-५३०४९—  
(डॉ. आर.के. अग्रवाल)०११०४।१२—  
उप सचिव, भारत सरकार  
दूरभाष संख्या: 011-24367076

**राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के सदस्य (न्यायिक/विशेषज्ञ) के पद के लिए आवेदन प्रपत्र**

1. पद, जिसके लिए आवेदन किया गया है : न्यायिक सदस्य   
(बॉक्स में (✓) चिन्ह लगाएं)

हाल में खींचा गया  
पासपोर्ट आकार का  
फोटो चिपकाए (कृपया  
नीचे दिए गए बॉक्स में  
हस्ताक्षर करें)

**विशेषज्ञ सदस्य**

2. पूरा नाम (साफ अक्षरों में) :  
3. पिता का नाम :  
4. जन्म तिथि :

- (ईसवी सम्वत में - तारीख/माह/वर्ष प्रारूप में)  
5. केन्द्र/राज्य सरकार नियमावली  
के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि :

6. निवास संबंधी विवरण :

(क) पता : फ्लेट सं./मकान सं :  
मार्ग/गली :  
क्षेत्र/स्थान :  
शहर/नगर :  
जिला :  
राज्य :  
पिन कोड :

(ख) संपर्क सूत्र : दूरभाष (.....) (.....) [एसटीडी कोड और नंबर]

(ग) मोबाइल सं : (+91) (.....)

(घ) ईमेल आईडी :

7. कार्यालय विवरण (यदि लागू हों) :

(क) पता : संगठन का नाम :  
भवन :  
मार्ग/गली :  
क्षेत्र/स्थान :  
शहर/नगर :  
जिला :  
राज्य :  
पिन कोड :

(ख) संपर्क सूत्र : दूरभाष (.....) (.....) [एसटीडी कोड और नंबर]  
फैक्स (.....) (.....) [एसटीडी कोड और नंबर]

8. क्या अजा/अजजा/अपिव/सामान्य से संबंधित है :  
(अजा/अजजा/अपिव प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

9. पात्रता मानदण्ड :  
(क) न्यायिक सदस्यों के लिए

(i) शैक्षणिक योग्यताएँ :  
(स्नातक से शुरू करके प्राप्त की गई उच्चतर उपाधि तक)

विश्वविद्यालय / समकक्ष संस्थान का नाम	उपाधि	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्त अंकों का %	विषय/विशेषज्ञता

(ii) विज्ञापित पद एवं कार्य-अपेक्षाओं के लिए संगत अनुभव की प्रकृति और अवधि :

विवरण	सेवा की अवधि		क्या पात्र हैं (हां/नहीं)
	से	तक	
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश			
नियुक्ति के रथान सहित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश			
नियुक्ति के रथान सहित उच्च न्यायालय के			
न्यायाधीश			
पर्यावरण/वन मामलों के न्याय निर्णयन का अनुभव			

(बी) विशेषज्ञ सदस्यों के लिए :

(i) शैक्षणिक योग्यताएँ :

विश्वविद्यालय / समकक्ष संस्थान का नाम	उपाधि	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्त अंकों का %	विषय/विशेषज्ञता	क्या पात्र हैं (हां/नहीं)

- (ii) योग्यता मानदण्डों के अनुसार तथा विज्ञापित पद एवं कार्य अपेक्षाओं हेतु संगत व्यावसायिक अनुभव/नियोजन की प्रकृति एवं अवधि (कालक्रमानुसार वर्तमान पद से प्रारंभ करते हुए) (आप स्व-अधिप्रमाणित एक अलग शीट भी संलग्न कर सकते हैं):

संगठनों का नाम	धारित पद	सेवाकाल		वेतनमान	निपटाए गए मामले(पर्यावरण/वन नीति मामलों के बारे में विशिष्ट उल्लेख सहित)	क्या पात्र हैं (हां/नहीं)
		से	तक			

10. यदि अभ्यर्थी ने वर्तमान पदलियन/प्रतिनियुक्ति आधार पर धारण किया हुआ है तो :

- (क) उस संगठन का नाम जिसमें लियन लिया गया है :
- (ख) लियन प्रारंभ होने की तिथि :
- (ग) अभ्यर्थी के प्रतिनियुक्ति पर जाने की तिथि :

11. आवेदक निम्नलिखित के संबंध में अतिरिक्त जानकारी दे सकते हैं :

- (क) अनुसंधान प्रकाशन तथा रिपोर्ट और विशेष परियोजनाएं :
- (ख) पुरस्कार/छात्रवृत्ति/कार्यालय द्वारा प्रशंसा:
- (ग) व्यावसायिक निकायों/संस्थानों/समितियों के साथ संबंद्धता और कोई अन्य सूचना

12. (क) क्या आवेदक को पिछले 10 वर्षों के दौरान कोई सज्जा दी गई है (हां/नहीं)

यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है :

- (ख) क्या आवेदक की जानकारी में उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई अथवा जांच चल रही है (हां/नहीं)

यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है :

### घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दिए गए पूर्ववर्ती व्यौरे सही हैं तथा मैं पद के लिए पात्र हूं।

मैं अपनी यह इच्छा भी प्रकट करता/करती हूं कि चयन होने पर मैं पदभार ग्रहण करूंगा/करूंगी। यदि साक्षात्कार होने के बाद, किन्तु नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व अथवा नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद मैं अपनी अनिच्छा व्यक्त करता/करती हूं, तो मुझे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में पद हेतु आवेदन करने से दो वर्षों की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाए।

दिनांक :

(आवेदक का नाम तथा हस्ताक्षर)

(सेवारत आवेदकों हेतु संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा भरा जाए)

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत किए गए उपरोक्त विवरणों की जांच कर ली गई है तथा वे कार्यालय अभिलेखों के अनुसार सही पाए गए हैं।

अग्रेषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी  
के हस्ताक्षर एवं पदनाम  
दूरभाष एवं कार्यालय मोहर सहित

\*\*\*\*\*